रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 435] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 30, 2016/अग्रहायण 9, 1938
No. 435] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 30, 2016/AGRAHAYANA 9, 1938

महापतन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 25 नवम्बर, 2016

सं.- टीएएमपी/35/2010-सीडब्ल्यूसी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्द्वारा कांडला पत्तन न्यास में कंटेनर भाड़ा केंद्र को संचालन कर रहे केन्द्रीय भंडारण निगम (सी डब्ल्यू सी) के वर्तमान प्रशुल्क की वैधता का इसके साथ संलग्न आदेश के अनुसार विस्तार करता है।

महापतन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी /35/2010-सीडब्ल्यूसी

केन्द्रीय भंडारण निगम ------ **आवेदक**

गणपूर्ति

(i) श्री टी. एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
(ii) श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(नवम्बर, 2016 के 17वे दिन पारित)

1. यह मामला कांडला पत्तन न्यास में कंटेनर भाड़ा केंद्र को संचालन कर रहे केन्द्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) के वर्तमान प्रशुल्क की वैधता के विस्तार से संबधित है।

2. सी डब्ल्यू सी के वर्तमान दरमानों का पिछला अनुमोदन 6 जनवरी, 2012 के आदेश संख्या टीएएमपी/35/2010 सीडब्ल्यूसी के द्वारा किया गया था जो 1 मार्च, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचित हुआ था। आदेश में दरमानों की वैधता 31 मार्च, 2014 तक थी। तत्पश्चात सीडब्ल्यूसी द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर इस प्राधिकरण ने सीडब्ल्यूसी के दरमानों की वैधता में कई अवसरों पर विस्तार किया गया और पिछली बार 21 जून, 2016 के आदेश के द्वारा वैधता का विस्तार 30 सितंबर 2016 तक किया गया था।

3. 21 जून, 2016 के आदेश द्वारा वर्तमान दरमानों की वैधता का विस्तार करते समय, इस प्राधिकरण ने सीडब्ल्यूसी को 31 जुलाई, 2016 तक अपने दरमानों के सशोंधन का प्रस्ताव दायर करने की मंजूरी दी थी।

4. इस संबद्ध में सीडब्ल्यूसी ने अपने 27 जुलाई, 2016 के पत्र के द्वारा सूचित किया है की सीडब्ल्यूसी प्राधिकरण को प्रस्तुत किए जाने वाले प्रशुल्क प्रस्ताव का अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया में है और इसलिए अनुरोध किया कि प्रशुल्क प्रस्ताव दायर करने की तारीख को 31 जुलाई, 2016 से 31 अगस्त, 2016 कर दिया जाए। तदनुसार प्राधिकरण ने अपने 5 अगस्त, 2016 के पत्र के द्वारा सीडब्ल्यूसी को अपने दरमानों के संशोधन का प्रस्ताव दायर करने के लिए 31 अगस्त, 2016 तक विस्तार करने की मंजूरी संसूचित की।

5. अब सीडब्ल्यूसी ने अपने 7 नवम्बर, 2016 के पत्र द्वारा फिर से अनुरोध किया कि उसके वर्तमान दरमानों की वैधता 31 दिसंबर, 2016 तक अथवा प्राधिकरण के अनुमोदन तक, जो भी पहले हो, विस्तार किया जाए। सीडब्ल्यूसी ने अपने 10 नवम्बर, 2016 के ई-मेल द्वारा अपने दरमानों में संशोधन का प्रस्ताव भी दायर किया है। इस पर परामर्शदायी प्रक्रिया आरंभ करने के लिए अलग से संसाधित किया जा रहा है।

6. उक्त को देखते हुए, और चूंकि केपीटी के वर्तमान दरमानों की विस्तारित वैधता 30 सितंबर, 2016 को समाप्त हो चुकी है और सीडब्ल्यूसी द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर यह प्राधिकरण सीडब्ल्यूसी के वर्तमान दरमानों की समाप्ति की वैधता का विस्तार 31 दिसंबर, 2016 तक अथवा संशोधित दरमानों के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख तक, जो भी पहले हो, करता है।

7. यदि 1 अप्रैल, 2014 की अवधि के पश्चात् अनुमत लागत और अनुज्ञेय प्रतिफल के अतिरिक्त कोई अतिरिक्त अतिरेक पाया जाता है तो उसके निष्पादन की समीक्षा के दौरान, ऐसे अतिरिक्त अतिरेक को निर्धारित किये जाने वाले प्रशुल्क के प्रति पूर्णत: समायोजित किया जाएगा।

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन–III/4/असा./323/16(143)]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS
NOTIFICATION

Mumbai, the 25th November, 2016

No. TAMP/35/2010-CWC.—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing tariff for the Central Warehousing Corporation operating the Container Freight Station at the Kandla Port Trust as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

Case No. TAMP/35/2010-CWC

The Central Warehousing Corporation - - - Applicant

QUORUM

(i) Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)

(ii) Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 17th day of November, 2016)

1. This case relates to the extension of the validity of the existing Scale of Rates of the Central Warehousing Corporation (CWC) operating the Container Freight Station at the Kandla Port Trust (KPT).

2. The existing Scale of Rates (SOR) of CWC was last approved by this Authority vide Order No.TAMP/35/2010-CWC dated 06 January, 2012 which was notified in the Gazette of India on 01 March, 2012. The Order prescribed the validity of the SOR till 31 March, 2014. Subsequently this Authority based on the request made by the CWC had extended the validity of SOR of CWC on couple of occasions and the last extension being till 30 September, 2016 vide Order dated 21 June, 2016.

3. While extending the validity of its existing SOR vide Order dated 21 June, 2016, this Authority had granted time till 31 July, 2016 to the CWC to file its proposal for revision of its SOR.

4. In this regard, the CWC vide its letter dated 27 July, 2016 informed that the CWC is in the process of obtaining approval of tariff proposal which will be submitted to TAMP and hence requested to further extend the date of submission of tariff proposal from 31 July, 2016 to 31 August, 2016. Accordingly, the Authority has, vide its letter dated 5 August, 2016, intimated about grant of extension of time till 31 August, 2016 to file its proposal for revision of its SOR.

5. The CWC has now vide its letter dated 7 November, 2016 again requested to extend the validity of the existing SOR till 31 December, 2016 or till approval of TAMP whichever is earlier. The CWC vide its email dated 10 November, 2016 has also filed its proposal for revision of its SOR. This is being processed separately for initiating consultation process.

6. In view of the above and since the extended validity of the exiting SOR of KPT has expired on 30 September, 2016 and based on the request made by the CWC, this Authority, extends the validity of the existing SOR of the CWC from the date of its expiry till 31 December, 2016 or the effective date of implementation of the revised SOR, whichever is earlier.

7. If any additional surplus over and above the admissible cost and permissible return emerges for the period post 1 April, 2014, during the review of its performance, such additional surplus will be set off fully in the tariff to be determined.

T. S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./323/16 (143)]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2016.12.02 12:54:20 +05'30'